विविध बैंक प्रकरण सं0 82/2020 (RCMS 2020/00226) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व में आन्ध्रा बैंक) शाखा – 98, वृन्दावन विहार, गगन पथ, जवाहर नगर श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी बनाम 1 मैसर्स पुष्य एग्रो फूड – प्रो. श्रीमती सन्तोष रानी जग्गा पत्नी रमेश कुमार जग्गा, प्लॉट नं. ई–130, 131 इण्डस्ट्रीयल एरिया उद्योग विहार, रीको, फेज–प्रथम, श्रीगंगानगर एवं 3–जी–2 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर **2. रमेश कुमार जग्गा पुत्र श्री सैन दास जग्गा 3. नवीन कुमार जग्गा पुत्र रमेश कुमार जग्गा** 3–जी–2 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर उपं ए 20, निकुन्ज विहार, चैताली नगर एनक्लेव के सामने, सेक्टर 17 के पास, श्रीगंगानगर एवं 108 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर **4. मैसर्स नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री जरिये पार्टनर्स श्री रमेश कुमार जग्ग पुत्र श्री सैन दास जग्गा एवं श्री नवीन कुमार जग्गा पुत्र श्री रमेश कुमार जग्गा**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.02.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री सौरभ खण्डेलवाल उपस्थित हुए। उनकी बहस सुनी गई।

प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 15.10.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण **मैसर्स पुष्य एग्रो फूड, रमेश कुमार जग्गा, नवीन कुमार जग्गा एवं मैसर्स नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री** को ऋण सुविधा के रूप में 330.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये तीन सौ तीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 30.11.2016 स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी रमेश कुमार जग्गा एवं नवीन कुमार जग्गा – पार्टनर्स मैसर्स नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री, ई–130–131, उद्योग विहा रीको, श्रीगंगानगर स्थित फैक्ट्री लैण्ड एण्ड बिल्डिंग (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 80[illegible] [illegible]टर तथा हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक [illegible]रॉ–मेटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेसे, सेमी फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूच[illegible]ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैण्डिंग, रिसीवेबल, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरजी एण्ड अदर मूवेबल्स, फर्नीचर, फिचर्स एण्ड फिटिंग्स, इक्युपमेन्ट इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित) में स्थित प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 06.06.2018 को 3,53,20,359/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 06.06.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। अप्रार्थी मै. नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री के पार्टनर्स श्री रमेश कुमार जग्गा एवं श्री नवीन कुमार जग्गा है जो कि उक्त ऋणी फर्म में गारन्टर 1 व 2 है उन्हें बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किये गये है। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड डाक दिनांक 08.06.2018 को भिजवाये गये है, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी अप्रार्थी रमेश कुमार जग्गा एवं नवीन कुमार जग्गा — पार्टनर्स मैसर्स नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री, ई—130—131, उद्योग विहा रीको, श्रीगंगानगर स्थित फैक्ट्री लैण्ड एण्ड बिल्डिंग (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर तथा हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक ऑफ रा—मैटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेसे, सेमी फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, आल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक—डेब्ट्स, आउटस्टैण्डिंग, रिसीवेबल, [illegible] एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरजी एण्ड अदर मूवेबल्स, फर्नीचर, फिचर्स एण्ड फिटिंग्स, इक्युपमेन्ट इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता श्री सौरभ खण्डेलवाल का अभिभाषक पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और उपस्थित अधिवक्ता श्री सौरभ खण्डेलवाल ने बैंक की ओर से अपनी उपस्थित का कोई अधिकार पत्र/वकालतनामा भी पेश नहीं किया है अपितु सरफैसी अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में शीघ्र बैंक के पक्ष में निर्णय देने की प्रार्थना की है एवं प्रार्थना पत्र के साथ मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय की कम्प्यूटर की प्रति पेश की है। चूंकि श्री सौरभ खण्डेलवाल अधिवक्ता ने बैंक की ओर से कोई अधिकार पत्र/वकालतनामा पेश नहीं है इसलिए उनको बैक का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है और जो बैंक की ओर से अधिकृत अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र खोरनियां, आर.पी. सिंह, कीर्ति सिंह, जे.पी. रावत उपस्थत नहीं हैं। इसलिए बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेज पर ही गुण दोष के आधार पर ही निर्णय करना उचित होगा।

मैने पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मैसर्स पुष्य एग्रो फूड, रमेश कुमार जग्गा, नवीन कुमार जग्गा एवं मैसर्स नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री** को 330.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये तीन सौ तीस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 30.11.2016 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी रमेश कुमार जग्गा एवं नवीन कुमार जग्गा — पार्टनर्स मैसर्स नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री, ई—130—131, उद्योग विहा रीको, श्रीगंगानगर स्थित फैक्ट्री लैण्ड एण्ड बिल्डिंग (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर तथा हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक ऑफ रा—मैटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, आल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर रिसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, आउटस्टैण्डिंग, रिसीवेबल, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरजी एण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अदर मूवेबल्स, फर्नीचर, फिचर्स एण्ड फिटिंग्स, इक्युपमेन्ट इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **31.03.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों मैसर्स पुष्य एग्रो फूड, रमेश कुमार जग्गा, नवीन कुमार जग्गा को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 06.06.2018 को जारी किये गये है तथा दिनांक 08.06.2018 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये** है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं धारा 13(2) के नोटिस की तामील के परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण ऋणियों **मैसर्स पुष्य एग्रो फूड, रमेश कुमार जग्गा, नवीन कुमार जग्गा के पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पेश किये है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों मैसर्स पुष्य एग्रो फूड, रमेश कुमार जग्गा,** नवीन **कुमार जग्गा को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हुई हैं** परन्तु अप्रार्थी मैसर्स नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री को प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थी के रूप में तो शमिल किया है परन्तु उसे धारा 13(2) का नोटिस जारी नहीं किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अप्रार्थी रमेश कुमार जग्गा एवं नवीन कुमार जग्गा – पार्टनर्स मैसर्स नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री, ई–130–131, उद्योग विहा रीको, श्रीगंगानगर स्थित फैक्ट्री [illegible] एण्ड बिल्डिंग (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर तथा हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक ऑफ रा–मैटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेसे, सेमी फिनिश्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, आल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैण्डिंग, रिसीवेबल, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरजी एण्ड अदर मूवेबल्स, फर्नीचर, फिचर्स एण्ड फिटिंग्स, इक्युपमेन्ट इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित) **सम्पत्ति** का संबध है, जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 06.06.2018 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार** अप्रार्थीगण **मैसर्स पुष्य एग्रो फूड, रमेश कुमार जग्गा, नवीन कुमार जग्गा जारी किया हैं।** प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 06.06.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण **मैसर्स पुष्य एग्रो फूड, रमेश कुमार जग्गा, नवीन कुमार जग्गा** को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.06.2018 को भिजवाये गये है, जिसकी पोस्ट ऑफिस की रसीद रिकॉर्ड पर उपलब्ध है एवं नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रैक की प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। **किन्तु ऋण पत्र के अनुसार सम्पत्ति फर्म मै. नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री के नाम से है जिसे धारा 13(2) का नोटिस बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया हैं जबकि फर्म नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री को** **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) Rules, 2002 के Rule 3(3) के अनुसार धारा 13(2) का नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था। THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) Rules, 2002 के Rule 3(3)** निम्नानुसार है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

3. Demand Notice :

(3) Any Other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

चूंकि अप्रार्थी मै. नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है, इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के तहत** बैक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व में आन्ध्रा बैंक) का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2020 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। प्रार्थी बैंक नये सिरे से वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 13(2) के नोटिस की पुनः विधिवत् तामील करवाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध नियमानुसार प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:26 IST
Reason: SelfAttested

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर